सं. 5/5/2019 – रा. भा. (सेवा) पार्ट – ।
भारत सरकार
गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी –॥ भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली – 110 001
दिनांक: 11 सितम्बर, 2020

कार्यालय आदेश

राजभाषा विभाग के दिनांक 20 अगस्त, 2020 के कार्यालय आदेश सं. 05/20/2016– रा. भा. (सेवा) पार्ट – । के संदर्भ में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के 08 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए थे जिसमें सुश्री पूर्णिमा बोस, सहायक निदेशक को मंत्रिमंडल सचिवालय से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में स्थानांतरण किया गया था। सुश्री पूर्णिमा बोस के संबंध में जारी किए गए स्थानांतरण संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए उनकी तैनाती वर्तमान में मंत्रिमंडल सचिवालय में समझी जाए।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन के दिनांक 04 सितम्बर, 2020 के कार्यालय आदेश सं. ए - 22016/3/2020 – एडी. – । के अनुसरण में श्री रणबीर सिंह, सहायक निदेशक द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय से दिनांक 04 सितम्बर, 2020 अपराह्न से कार्यमुक्त होकर दिनांक 07 सितम्बर, 2020 पूर्वाह्न को राजभाषा विभाग में कार्यभार ग्रहण किया। श्री रणबीर सिंह को तत्काल प्रभाव से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में तैनात किया जाता है। राजभाषा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के दौरान श्री रणबीर सिंह, सहायक निदेशक को दिनांक 07 सितम्बर, 2020 पूर्वाह्न से 11 सितम्बर, 2020 अपराह्न तक की अवधि के दौरान अनिवार्य प्रतीक्षा (Compulsory Waiting) में रखा गया। अनिवार्य प्रतीक्षा की अवधि के वेतन का भुगतान कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

3. श्री रणबीर सिंह, सहायक निदेशक के पूर्व तैनाती के मंत्रालय/ विभाग से अनुरोध है कि उनकी वर्तमान तैनाती के मंत्रालय में इनकी सेवापंजी, एलपीसी इत्यादि दस्तावेज संबंधित मंत्रालय/विभाग में सीधे ही भिजवा दिए जाएं।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(अमरजीत सिंह) 11/9/20
अवर सचिव (सेवा)

सेवा में

1. अवर सचिव (प्रशा./स्थापना), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. अवर सचिव (प्रशा./स्थापना), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. सुश्री पूर्णिमा बोस, सहायक निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. श्री रणबीर सिंह, सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग, एन डी सी सी – ॥ भवन, नई दिल्ली।
5. श्री नगेंद्र सिंह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन आई सी)। कृपया इस कार्यालय आदेश को राजभाषा विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।